रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

फा. सं. एच-22011/2/2014-एसडीई-1.—भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदंड से संबंधित दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-1 के खंड 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रयोजनार्थ गठित सामान्य मानदंड समिति अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-1 दिनांक 15.07.2015 के अनुबंध-। के अनुसूची में पुन: संशोधन करती है, नामत:-

1. ये संशोधन कौशल विकास स्कीमों हेतु सामान्य मानदंड द्वितीय संशोधन, 2017 कहलाएंगे।

संशोधन

(1) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड 1 में निम्नलिखित उप-खंड 1.3 जोड़ा जाता है, नामत:

1.3 विभिन्न सेक्टरों की आधार लागत में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा उससे अनुसूची-। के खंड 1.1 में उल्लिखित राशि में 10 प्रतिशत (अगले 10 पैसे तक पूर्णांकित) का परिशोधन दिनांक 01.04.2017 से प्रवृत्त होगा।

(2) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-2.1 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:

2.1 अनुसूची-1 के खंड 5.1 में यथा उल्लेखित विशेष क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए तथा ऐसे विशेष क्षेत्रों के जिले से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करे रहे दिव्यांगों हेतु आने जाने का वास्तविक परिवहन व्यय, जो अधिकतम 5000 रु प्रति प्रशिक्षार्थी देय होगा।

(3) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-3 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाए:

3. निम्नलिखित के लिए भोजन और आवास व्यय

(क) आवासी प्रशिक्षणों, तथा/अथवा

(ख) उन समस्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में, जहां प्रशिक्षार्थी इन विशेष क्षेत्रों (यथा वर्णित) से बाहर प्रशिक्षण लेते हैं, तथा/अथवा

(ग) देश में किसी स्थान पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, जहां महिला प्रशिक्षार्थियों को अपने घर से 80 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचना होता है तथा जो उनके द्वारा विहित भोजन आवास सुविधाओ का लाभ उठा रही है।

मंत्रालय निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन अधिकतम भोजन आवास लागत की प्रतिपूर्ति करेंगे।

i. एक्स श्रेणी के शहरों/नगरों के लिए प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी	300 रू
ii. वाई श्रेणी के शहरों/नगरों के लिए प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी	250 रू
iii. जेड श्रेणी के शहरों/नगरों के लिए प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी	200 रू
iv. ग्रामीण क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों म्युनिसपल/नगर क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित नहीं है	175 रू

(शहरों के श्रेणियों की सूची अनुसूची-3 में दी गई है)

(4) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-5.2 में निम्नलिखित की प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

5.2 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी व्यक्ति, दिव्यांगों तथा महिला उम्मीदवारों को "विशेष समूह" कहा जाएगा। विशेष समूहों को गैर-आवासी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा प्रमाण पत्र मिलने के उपरांत, उनके द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों तक आने-जाने के यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की निम्नलिखित रूप से की जाएगी:

(i) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी व्यक्ति तथा महिला उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित दरों पर:

प्रतिमाह यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति	**राशि (रुपए में)**
1) गृह जिले के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र	1000 रू
2) गृह जिले से बाहर प्रशिक्षण केंद्र	1500 रू

(ii) दिव्यांगों के लिए:

संबंधित मंत्रालय/विभाग की स्वयं की स्कीम के अनुसार एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

(5) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-5.3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

5.3 विशेष क्षेत्रों/समूहों को सवैतनिक रोजगार हेतु तैनाती उपरांत सहायता: विशेष क्षेत्रों/समूहों के सवैतनिक रोजगार के तहत जॉबों/व्यवसायों में सेटल होने में नव कौशलीकृत व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए तैनाती उपरांत निम्नलिखित अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1500 रु प्रति माह की दर से सहायता सीधे उम्मीदवार को जाएगी:

1500 रु प्रति माह की दर से तैनाती उपरांत सहायता	पुरूष	महिला
1) आवासीय जिले के अंदर तैनाती	1 महीना	2 महीने
2) आवासीय जिले के बाहर तैनाती	2 महीने	3 महीने

परंतु, दिव्यांगों को निम्न अनुसार तैनाती उपरांत सहायता 3000 रु प्रति माह की दर उपलब्ध कराई जाएगी:

तैनाती उपरांत 3000 रु प्रति माह की दर सहायता	पुरूष/महिला
(i) आवासीय जिले के अंदर तैनाती	2 महीने
(ii) आवासीय जिले के बाहर तैनाती	3 महीने
(iii) आवासीय राज्य से बाहर तैनाती	6 महीने

बशर्ते कि तैनाती, प्रमाण पत्र मिलने के तीन माह के भीतर तथा उम्मीदवार की तैनाती की विधिमान्यता के उपरांत दी गई हो।

(6) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-5.4 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

5.4 दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) हेतु प्रशिक्षण: दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सहायता निम्नलिखित होगी:

(i) आर्थोपेडिक रूप से नि:शक्त/शारीरिक रूप से नि:शक्तजनों के लिए आधार लागत से 10 प्रतिशत अधिक
(ii) दृष्टि बाधित/श्रवण क्षमता बाधितजनों के लिए आधार लागत से 20 प्रतिशत अधिक
(iii) बौद्धिक रूप तथा शैक्षिक रूप से अक्षम, मानसिक बीमारी/विक्षिप्तता के लिए आधार लागत के 25 प्रतिशत अधिक

परंतु दिव्यांगों को विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण के मामले में खंड-5.4 (i) से (iii) के तहत आधार लागत से 10 प्रतिशत ऊपर के समकक्ष की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रत्येक मंत्रालय में उन ट्रेडों के लिए जिन्हें नि:शक्त जन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनएसडीए के साथ मिलकर निर्धारित किया गया है, में प्रति वर्ष कुल प्रशिक्षण का न्यूनतम 3 प्रतिशत दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगा।

(7) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-5.4 के नीचे निम्नलिखित खंड 5.5, 5.6 तथा 5.7 को जोड़ा जाएगा, नामत:-

5.5 संबंधित मंत्रालय/विभाग के विशिष्ट प्रयोजनों की स्कीम के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों को वर्दी के लिए सहायता भी दी जाएगी।

5.6 प्रति दिव्यांग 5000 रु की राशि की व्यक्तिगत सहायता यथा व्हील चेयर केलिपर्स, श्रवण यंत्र तथा सॉफ्टवेयर जैसे जावा/अन्य स्पीच इंटरप्रिटेशन, अन्य रीडिंग सॉफ्टेयर उपलब्ध कराएं जाएंगे।

5.7 प्रति दिव्यांग व्यक्ति 5000 रु की राशि उन्हें जॉब तक पहुंच बनाने(जॉब मेले, नियोजक आउटरीच कार्यक्रम आदि सहित) के लिए दी जाएगी।

(8) अनुबंध-। की अनुसूची-1 के खंड-5 के नीचे निम्नलिखित खंड 6 जोड़ा जाएगा, नामत:-

6 इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स द्वारा विदेशों में जॉब खोज रहे भारतीयों के लिए विदेश में जॉब लेने संबंधी कौशल विकसित करने हेतु सहायता, जिसमें प्रस्थान पूर्व कौशल-उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क के साथ प्रशिक्षण, डोमेन में पाठ्यक्रम विषय-वस्तु संबंधी जानकारी तथा भारतीय प्रमाणन एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र निम्नवत दिया जाएगा:

(i) विदेशों में उम्मीदवारों की तैनाती के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी 10,000 रु का प्रोत्साहन;
(ii) प्रति प्रशिक्षार्थी 3,500 रु की अनंतिम दर पर मूल्यांकन तथा प्रमाणन लागत की प्रतिपूर्ति। एनएसडीसी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लागत का पता लगाएगी;
(iii) प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण श्रेणी-।।। के लिए लागू आधार दर पर।

(9) अनुबंध-। की अनुसूची-4 के खंड-3(i) तथा 3(ii) में स्थित पद "आधार लागत का" को समाप्त किया जाएगा।

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 28 February, 2017

F. No. H-22011/2/2014-SDE-I.—In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the purpose makes the following changes further to amend the Schedules of Annexure-1 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 namely:-

1. These amendments may be called Common Norms for Skill Development Schemes Second Amendment, 2017.

Amendments:

(1) The following sub-clause 1.3 is added to Clause 1 of SCHEDULE-I of Annexure-1, namely:-

1.3 The base cost for different sectors is increased at 5% and shall stand revised to 10%, rounded off to the next 10 paisa, of the amounts mentioned in Clause 1.1 of SCHEDULE-I with effect from 01.04.2017.

(2) For Clause 2.1 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:

2.1 For candidates from Special Areas, as defined in Clause 5.1 of Schedule I and Persons with Disabilities undergoing training outside district of such Special Areas, to and fro transport cost as per actuals, subject to a maximum of Rs. 5000/- per trainee, may be payable.

(3) For Clause 3 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:

3. Boarding and Lodging Costs

For:

a) Residential trainings, and/ or

b) In respect of all skill development training programmes where trainees from Special Areas (as defined herein) are trained outside these Special Areas, and/or

c) Training programmes anywhere in the country where women trainees have to travel more than 80 kms from their homes to reach the nearest training centre and who are availing of boarding and lodging arrangements made for them.

Ministries will reimburse Boarding & Lodging Costs up to a maximum per trainee per day as per table below:

i. X Category Cities/ Town per day per Trainee	Rs.300/-
ii. Y Category Cities/ Town per day per Trainee	Rs.250/-
iii. Z Category Cities/ Town per day per Trainee	Rs.200/-
iv. Rural Areas and any Area not notified as a municipal/town area	Rs.175/-

(The List of categories of cities is given at SCHEDULE-III)

(4) For Clause 5.2 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:-

5.2 All Persons Below Poverty Line (BPL), Persons with Disabilities and Women candidates shall be referred to as "Special Groups". Upon successful completion of non-residential skill training programmes, and after certification, the Special Groups will be reimbursed the cost incurred in travelling to and from the training centre as under:

(i) For Persons Below Poverty Line (BPL) and women candidates at the following rates:

Reimbursement of Conveyance Costs per month	Amount (in Rs.)
1) Training Centre within District of domicile	1000/-
2) Training Centre outside District of domicile	1500/-

(ii) For Persons with Disabilities:

Lump sum payment as per the specifics of the Scheme of the concerned Ministry/ Department.

(5) For Clause 5.3 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:

5.3 Post Placement Support for Special Areas/Groups for wage employment: In order to enable the newly skilled persons from Special Areas/Groups to settle into their jobs/vocations under wage employment, post placement support would be provided directly to the candidate at the rate of Rs. 1500/- per month for the following durations:

Post Placement Support @ Rs. 1500/- per month	Men	Women
1) Placement within District of domicile	1 month	2 months
2) Placement outside District of domicile	2 months	3 months

Provided that the post placement support for Persons with Disabilities will be provided at the rate of Rs.3000/- per month as under:

Post placement support @ Rs. 3000/- per month	Men/ Women
(i) Placement within District of domicile	2 months
(ii) Placement outside District of domicile	3 months
(iii) Placement outside State of domicile	6 months

provided the placement is made within three months of certification and after post validation of placement of the candidate.

(6) For Clause 5.4 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:

5.4 Training for Persons with Disability (PwD): The additional support for imparting skill development training to persons with disabilities shall be as under:

(i) 10% over and above the base cost for Orthopedically Handicapped/ Physically Handicapped;

(ii) 20% over and above the base cost for Visually Impaired/ Hearing Impaired; and

(iii) 25% over and above the base cost for intellectual & learning disabilities, mental illness/ mental retardation.

Provided that in case of training of persons with disabilities in Special Areas, an additional amount equal to 10% over and above the base costs provided under Clause 5.4(i) to (iii) shall be admissible. At least 3% of total training done by every Ministry in each year shall be reserved for persons with disabilities, in trades as decided by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment in conjunction with the NSDA.

(7) The following clause 5.5, 5.6 and 5.7 shall be added below clause 5.4 of SCHEDULE-I of Annexure-1, namely:-

5.5 Support for uniforms for Persons with Disabilities undergoing skill development training shall be made as per the specific provisions of the scheme of the concerned Ministry/ Department.

5.6 An amount of Rs. 5000/- per PwD candidate towards personal assistive aids such as wheel chairs, calipers, hearing aids and software such as Jawa/ other speech interpretation, other reading software etc. shall be provided.

5.7 An amount of Rs. 5000/- per PwD candidate towards job outreach activities (including job melas, employers outreach programme) shall be provided.

(8) The following clause 6 shall be added below clause 5 of SCHEDULE-I of Annexure-1, namely:-

6. International Skill Training Centres offering skill development to Indians seeking jobs overseas, involving pre-departure orientation training, course content of the domain training with international benchmark, international certification with Indian Certification Agencies, shall be granted the following:

(i) Incentive at the rate of Rs. 10,000 per trainee to training partners for placement of candidates in foreign countries;

(ii) Assessment and Certification costs at the provisional rate of Rs. 3,500 per trainee. NSDC to discover costs through a transparent process;

(iii) Pre-departure orientation training at the base cost applicable to Category – III.

(9) The phrase "of the base cost" appearing in Clause 3(i) and 3(ii) of SCHEDULE-IV of Annexure-1 shall be deleted.

RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.04 12:27:08 +05'30'